MAHARSHI DAYANAND UNIVERSITY ROHTAK

(A State University established under Haryana Act No. 25 of 1975)
NAAC accredited 'A+' Grade

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गर्ल्स हॉस्टल परिसर तथा विश्वविद्यालय प्रेस के पीछे, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक में सुखी व उखड़ी हुई काबली किकर, जड़ समेत झाड़ियॉ इत्यादि की नीलामी "जहाँ है जैसे है" के आधार पर उच्चतम कीमत पर होगी। इस नीलामी का ब्यौरा व शर्तें आदि उपमण्डल अधिकारी (बागवानी– मो०न०–9896399896), इंजीनियरिंग सेल, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस या विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.mdurohtak.ac.in पर देखी जा सकती है। बोलीदाता को अपनी बोली मोहरबन्द लिफाफे में दिनांक 06/07/2021 शाम 3.00 बजे तक कार्यकारी अभियन्ता के कार्यालय में रखी ताला बन्द पेटी में ड़ालनी होगी जिसे उसी दिन शाम 3.30 बजे समिति व इच्छुक पार्टियो की उपस्थिति में खोला जायेगा।

30/6

कार्यकारी अभियन्ता

सुखी व उखड़ी हुई काबली किकर, जड़ समेत झाड़ियॉ इत्यादि की नीलामी "जहाँ है जैसे है" के आधार पर गर्ल्स हॉस्टल परिसर तथा विश्वविद्यालय प्रेस के पीछे, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक में होगी।

सामान्य नियम और शर्तें: –

1. निविदा में उच्चतम बोली एजेंसी को कार्य आवंटित किया जाएगा।

2. बोलीदाता को अपनी बोली की दरे "जहाँ है जैसे है" के आधार पर देखकर बन्द लिफाफे में दिनांक 06/07/2021 शाम 3.00 बजे तक कार्यकारी अभियन्ता के कार्यालय में बन्द पेटी में जमा करवानी होगी। जिसे समिति तथा बोलीदाता की उपस्थिति में उसी दिन शाम 3.30 बजे कार्यकारी अभियन्ता के कार्यालय में खोला जायेंगा ।

3. कार्य पूरा करने का समय सात दिन होगा।

4. नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को रूपये 10,000/-, (दसहजार रूपये) अग्रिम राशि के रूप में कार्यकारी अभियन्ता, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक के नाम बैंक ड्राफ्ट मोहरबन्द लिफाफे में बोली के साथ ड़ालना होगा।

5. प्रदर्शन /निष्पादन सुरक्षा जमा करने के बाद एजेंसी की मांग पर अग्रिम राशि वापिस कर दी जायेगी।

6. निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार काम के आंबटन पत्र के बाद एजेंसी द्वारा भुगतान जमा किया जाएगा: –
   i. काम शुरू होते ही लगभग आधी राशि एजेंसी को जमा करवानी होगी अन्यथा किसी भी लकड़ी को परिसर से बाहर निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
   ii. जैसे ही उपरोक्त जमा की हुई आधी राशि की लकड़ी उठा ली जायेगी उसके बाद बची हुई लकड़ी उठाने से पहले बाकि बची हुई आधी राशि जमा करवानी होगी।

7. भुगतान ऑनलाइन या डीडी के माध्यम से वित्त अधिकारी, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक के पक्ष में स्वीकार किए जाएंगे।

8. यदि बोलीदाता अथवा कोई मजदूर इस बोली की सारी प्रक्रिया के दौरान विश्वविद्यालय की किसी सम्पति को कोई नुकसान पहुँचाता है तो उसकी पूर्ण भरपाई जो महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक उचित समझे निविदाकर्त्ता को करनी होगी।

9. एजेंसी को केंद्र/राज्य सरकार के अनुसार सभी श्रम कानूनों /नियम का पालन करना होगा।

10. कैंपस से लकड़ी निकालने के लिए सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक गेट पास जारी किया जाएगा।

11. यदि परिसर से लकड़ी निकालने के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन में लकड़ी को छोड़कर कोई भी विश्वविद्यालय सामग्री पाई जाती है, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी और विश्वविद्यालय द्वारा एजेंसी को दंडित किया जाएगा।

12. एजेंसी निविदा से पहले अपनी लागत पर साइट का सर्वेक्षण कर सकती है। लकड़ी महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक के गर्ल्स हॉस्टल परिसर तथा विश्वविद्यालय प्रेस के पीछ पड़ी है।

13. कार्य का निष्पादन विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति की देख रेख में होगा।

14. निविदा को स्वीकृति करने का अधिकार इस उद्देश्य के लिए गठित समिति के पास होगा और समिति कोई कारण बताए बिना उद्धरण /निविदा के किसी भी या सभी मदों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। समिति को उच्चतम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते है। समिति भाग या पूरे में किसी भी वस्तु या किसी भी मात्रा या किसी भी क्षेत्र के उद्धरण / निविदा को स्वीकार करने और बाकी के लिए इसे अस्वीकार करने या दोनो को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

15. यदि अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी समय एजेंसी का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो विश्वविद्यालय 3 दिनों का नोटिस देकर अपनी ओर से किसी भी दायित्व के बिना अनुबंध को समाप्त करने की स्वतंत्रता होगा।

16. किसी भी चूक /उपेक्षा /कार्रवाई, मांग, कार्यवाही, मुकदमों संलग्नक, करों का भुगतान न करने, देनदारियों की गैर–निकासी, के कारण क्षतिपूर्ति / क्षतिपूर्ति स्थानीय निकायों / राज्य / केंद्र सरकारों के वैधानिक कानूनों/ नियमों का पालन न करना और इसके कर्मचारियों की गलती और /या कमी/लापरवाही के कारण उत्पन्न होने वाली क्षतिपूर्ति एजेंसी द्वारा महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक को की जायेगी।

17. एजेंसी द्वारा लगे हुए कामगारों को दिये जाने वाले भुगतान के लिए के लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा । एजेंसी कामगारों की सभी सुरक्षा सावधानियों को सुनिश्चित करेगी और यह सुनिश्चित करेगी की उसके कामगार पूरी सावधानी के साथ अपना कार्य कर रहे है किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना की जिम्मेवारी स्वयं एजेंसी की होगी। विश्वविद्यालय का इसमें कोई लेना देना नहीं होगा।

18. विश्वविद्यालय किसी भी इकाई के लिए एजेंसी द्वारा किए गए किसी भी वित्तीय, न्यायिक और /या प्रशासनिक प्रतिबद्धताओं का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

19. यदि कोई विवाद होगा तो केवल रोहतक में अदालतों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा। उद्धरण /निविदा या चालान या किसी अन्य दस्तावेज में उल्लिखित किसी अन्य क्षेत्राधिकार में कोई कानूनी पवित्रता नहीं होगी।

20. अनुबंध के किसी भी पहलू के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को ठेकेदार और विश्वविद्यालय के बीच आपसी परामर्श और समझौते के माध्यम से सुलझाया जाएगा। यदि मामला निपटारा नहीं हुआ है, तो विवाद भारतीय न्याय अधिनियम 1966 के दायरे में आ जाएगा और क्षेत्राधिकार रोहतक होगा।

21. समझौते का संशोधन: –
एजेंसी और एमडीयू के दायित्वों को इस समझोता ज्ञापन उल्लेखित कर दिया गया है। हालांकि, समझौते के संचालन के दौरान, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जो इस समझौते के नियमों और शर्तों में संशोधन या संशोधन के लिए कह सकती हैं। ऐसी स्थिति में, संशोधनों / रूपान्तरो के रूप में परस्पर सहमति हो सकती है इस समझौते में शामिल किया जाएगा।

22. यदि इस समझौते के किसी प्रावधान /प्रावधानो के अर्थ और प्रभाव के अनुसार कोई संदेह या अस्पष्टता उत्पन्न होती है, तो स्पष्टीकरण के लिए कुलपति, एमडीयू, रोहतक को संदर्भित किया जाएगा। कुलपति द्वारा प्रदान किया गया स्पष्टीकरण दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा

23. अन्य शर्ते यदि कोई होगी तो उसकी घोषणा बोली के समय मौकें पर कर दी जाएगी और कार्य के दोरान यदि कोई नियम व शर्ते होगी तो आपसी सहमति से लागू की जायेगी।

24. किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना की जिम्मेवारी स्वयं एजेंसी की होगी। विश्वविद्यालय का इसमें कोई लेना देना नहीं होगा।

25. अग्रिम राशि सिवाए उस व्यक्ति की जिसकी बोली स्वीकार कर ली जाती हैं, तुरन्त वापिस लौटा दी जायेगी। जिसकी बोली स्वीकार कर ली जाती हैं उसकी अग्रिम राशि काम पूरा होने व उपमंडल अभियन्ता (सिविल–3) से संतोषजनक प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर लौटा दी जायेगी।

26. नियमों के मुताबिक टीडीएस और जीएसटी या जो लागू होगा बोलीदाता को अलग से देना होंगा।

27. बोलीदाता को पैन कार्ड, जीएसटी पंजीकरण संख्या और आधार कार्ड की प्रतियां बोली के साथ जमा करवानी अनिवार्य है।

कार्यकारी अभियन्ता